झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय
नेपाल हाउस तृतीय तल, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

Subsidized Credit Facility के अन्तर्गत Working Capital पर Intrest की प्रतिपूर्ति हेतु रेशम उत्पादन में संलग्न SHG से आवेदन आमंत्रण हेतु विज्ञापन

हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड राँची द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड की CDP योजना अन्तर्गत Subsidized Credit Facility on Working Capital पर Intrest की प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु राज्य में रेशम उत्पादन से जुड़े रेशम कृषकों एवं रेशम धागाकारक SHG से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन का प्रपत्र प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.jharkhandindustry.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है या निकटतम अग्र परियोजना केन्द्रों से प्राप्त किया जा सकता है।

इच्छुक आवेदक/SHG अपना आवेदन संबंधित क्षेत्र के अग्र परियोजना केन्द्रों में समर्पित करेंगे, जहाँ से संबंधित सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) द्वारा अग्रसारित आवेदनों पर विचार करते हुए अनुशंसा करेंगे तथा अंतिम चयन निदेशक, हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड राँची की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 02.09.2014 है। आवेदक आवेदन पत्र के साथ सुसंगत कागजातों की छाया प्रति भी संलग्न करेंगे।

Credit Subsidy की अधिकतम सीमा ₹ 4500/– है। यह सुविधा वर्ष 2011–12 एवं उसके बाद लिए गए ऋण(Working Capital) पर ही उपलब्ध होगी।

अन्य विस्तृत जानकारी निकटतम अग्र परियोजना केन्द्रों अथवा www.jharkhandindustry.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

निदेशक
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

रेशम योजना में Catalytic Development Programme (CDP) के अंतर्गत "Subsidized credit facility" अन्तर्गत प्रति SHG अधिकतम रू० 4500/–का interest difference on working capital का disbursement

INTRODUCTION:

राज्य सरकार ने रेशम योजना में Catalytic Development Programme (CDP) के अंतर्गत "Subsidized credit facility" अन्तर्गत प्रति SHG अधिकतम रू० 4500/– का interest difference on working capital का disbursement

- झारखंड राज्य में तसर रेशम विकास की असीम संभावनाएँ है। राज्य में जहां एक ओर प्रचूर मात्रा में तसर कोए का उत्पादन होता है वहीं इसका मूल्य वर्द्धन कर अनेक रोजगार का अवसर प्राप्त होता है।
- राज्य सरकार द्वारा तसर उत्पादन समूह बना कर SHG द्वारा कराया जाता है। कोवा तथा बीज उत्पादन में 25–25 कृषकों का समूह, धागाकरण हेतु 30–30 महिलाओं–समूह का होता है।
- तसर धागा एवं वस्त्र रंगाई के अलावे वस्त्र बुनाई का समूह बनाकर cluster में होता है।
- यह प्रक्रिया एक दूसरे के साथ linkage होता है। तसर बीज से कोवा उत्पादन, कोवा से धागा तथा धागा से वस्त्र बुनाई। यह एक दूसरे के साथ एक कड़ी बनता है। एक अवस्था से दूसरे अवस्था पर मूल्य वर्द्धन होता है और उत्पाद का value बढ़ता है। इसके एक प्रक्रिया से दूसरे प्रक्रिया पर पहुंचने तक तीन से छः महीना तक समय लगता है।

उद्देश्य :

- वित्तीय संस्थान के working capital पर Higher interest rate के अंतर की राशि का रू० 4500/ग्रुप की अधिकतम सीमा तक प्रतिपूर्ति करना।

कार्य का ब्यौरा :

- तसर के मूल्य वर्द्धन में कार्यशील पूँजी (Working Capital) की आवश्यकता होती है, कम से कम एक चक्र (one cycle) ताकि SHG अपने आप में Sustainable हो सके।
- वित्तीय संस्थान एवं micro finance agency द्वारा कार्यशील पूंजी (working capital) हेतु Higher interest पर ऋण दी जाती है।
- Working capital पर लगने वाला interest के अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू0 4,500/– (रूपए चार हजार पांच सौ) प्रति SHG दी जायेगी। राशि A/C चेक द्वारा सीधे सम्बन्धित SHG के bank account में स्थनान्तरित की जायेगी।
- इस योजना से 1000 (एक हजार) SHG लाभान्वित होगा।
- SHG का चयन पी.पी.सी. के कमाण्ड क्षेत्र से होगा। इस हेतु एक आवेदन प्रपत्र निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प द्वारा तैयार किया गया है जिसमें लाभुक ग्रुप आवेदन करेगा। सभी आवेदन के साथ सम्बन्धित बैंक से linkage का साक्ष्य, loan भुगतान प्राप्त करने वाले पास बुक की छायाप्रति के साथ आवेदन करेगा।
- सम्बन्धित आवेदन अग्र परियोजना केन्द्र से प्राप्त होगा तथा अग्रसारण निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प को किया जायेगा।
- SHG का अंतिम चयन निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प की अध्यक्षता में एक समिति करेगी। इसमें निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प झारखण्ड का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- चयनित SHG की सूची अनुबंध राशि, loan account इत्यादि के साथ प्रकाशित की जायेगी तथा विभाग के Website पर डाला जायेगा। यह www.jharkhandindustry.gov.in में होगा।
- इस योजना से उत्पादन से विपणन की राशि प्राप्त होने तक Capital पर ब्याज की भरपाई में सहायक होगा ताकि रेशम उद्यमी को ब्याज के चलते नुकसान नहीं हो।
- समिति एक modalities तथा चयन का आधार तय करेगा जिसमें quantum of loan, loan का deployment quality, production status, sale at झारक्राफ्ट या अन्य Govt. certified agencies, frequency of return of loan, इत्यादि का आधार बनाया जायेगा। ST/SC/OBC/minorities/women/PH ग्रुप को यथा सम्भव आरक्षण प्रावधान के सीमा तक लाभ दिया जायेगा।
- Double subsidy न हो यह सुनिश्चित हो यथा ग्रामीण विकास विभाग/कल्याण इत्यादि।

Subsidized Credit Facility अन्तर्गत Intrest difference on working capital की प्रतिपूर्ति की योजना के अन्तर्गत रेशम उत्पादन से जुड़े रेशम कृषकों एवं रेशम धागाकारक SHG के चयन हेतु आवेदन का प्रपत्र।

---

1. ग्रुप का नाम –

2. पता –

3. सदस्यों की संख्या –

4. प्रमुख गतिविधियॉ – (तसर कोए उत्पादक / तसर धागाकरण)

5. आवेदित capital requirement का संक्षिप्त विवरण –

6. Bank Linkage की सूचना –
   (पास बुक की छायाप्रति संलग्न करें)

7. भुगतान प्राप्त करनेवाले खाते का विवरण –
   (खाता सं0, बैंक का नाम, पास बुक की छायाप्रति)

8. क्या इस कार्य हेतु अन्य विभाग / संस्था से लाभ प्राप्त किए है –
   मैं श्री / सुश्री ....एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण सत्य है। किसी भी समय मुझे गलत पाये जाने पर मैं स्वंय जिम्मेवार होऊँगा।

स्थान...

दिनांक...

आवेदक का हस्ताक्षर
(SHG के सचिव / अध्यक्ष)